

हनुमान ५१ किशोर व अन्य
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	24/09 1991
----------	---------------------------	------------

तहसील सांगानेर में वादी को हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 अर्थात् 1/8 का स्वतंत्र कारखाना धोषित किया जाता है इसी प्रकार राजस्थान में इन्डिया किया जावे तथा वादी के कब्जेकाल में रुकावट व मजहमत अतिकारी नही कहे हेतु पाबन्द किये जाते हैं। पचाडिडी प्रत्यक्ष से तैयार कर प्रेष करे। पञ्जावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दस्तावेज सुगमगणना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय

दमा संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही